M.S. (Registration of Indian Fishing Boats) Rules, 1988.

EXTRACT FROM THE GAZETTE OF INDIA : PART II, SEC. 3 SUB. SEC. (i)

Appearing on Page No. 3277—3295

Dated 5-11-88

जल भूतल परिवहन मंत्रालय

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(पोत परिवहन विभाग)

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1988

(वाणिज्य पोत परिवहन)

सा. का. नि. —865—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 435घ और 435ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इससे उपाबद्ध सारणी के स्तंभ iii में विनिर्दिष्ट प्रत्येक पत्तन को मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं के रजिस्ट्री पत्तन या स्थान घोषित करती है और उक्त अनुसूची के स्तंभ 121 में की तत्समान प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट अधिकारियों को ऐसे पत्तनों या स्थानों के संबंध में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं का रजिस्ट्रार नियुक्त करती है।

सारणी

पत्तन	अधिकारी
1	2
1. माण्डवी	उप कार्यपालक इंजीनियर और पत्तन अधिकारी, माण्डवी।
2. नवलखी	पत्तन अधिकारी, नवलखी
3. जाफराबाद	पत्तन अधिकारी, जाफराबाद
4 कांडला	उप संरक्षक, कांडला पत्तन, कांडला, गांधीधाम
5. ओखा	पत्तन अधिकारी, ओखा
6. पोरबन्दर	पत्तन अधिकारी, पोरबन्दर
7. वरावल	पत्तन अधिकारी, वरावल
8. भावनगर	पत्तन अधिकारी, भावनगर
9. महोबा	पत्तन अधिकारी, महोवा
10. मुम्बई	प्रधान अधिकारी, वाणिज्य समुद्री विभाग, मुम्बई।
11. रत्नागिरि	पत्तन अधिकारी, रत्नागिरि
12. मरमुगाव	इंजीनियर तथा पोत सर्वेक्षक, मरमुगाव
13. बांदरा	पत्तन अधिकारी, बादरा पत्तन समूह, बांदरा, बम्बई—400052
14. मोरा	पत्तन अधिकारी, बांदरा पत्तन समूह बांदरा, मुम्बई, 400052
15. राजपुरी	पत्तन अधिकारी, राजपुरी के पत्तन समूह, मुरुद, जनजीरा, जिला रायगढ़,
16. वेंगुर्ला	पत्तन अधिकारी, विजयदुर्गा, वेंगुर्ला पत्तन समूह वेंगुर्ला, जिला सिंधुदुर्गा।
17. कारबर	पत्तन अधिकारी, कारवर
18. होनावर	पत्तन अधिकारी, होनावर
19. कून्डापुर	पत्तन अधिकारी, कून्डापुर
20. मंगलौर	पत्तन अधिकारी, मंगलौर
21. मालवे	पत्तन अधिकारी, मालवे
22. कालीकाट	पत्तन अधिकारी, कालीकट
23. कोचीन	इंजीनियर तथा पोत सर्वेक्षक, वाणिज्य समुद्री विभाग, कोचीन
24. ऐलपे	पत्तन अधिकारी, ऐलपे
25. नीदाकरा	पत्तन अधिकारी, नीदाकरा
26. त्रिवेंद्रम	पत्तन निदेशक, त्रिवेंद्रम, केरल
27 मद्रास	मुख्य अधिकारी, वाणिज्य समुद्री विभाग मद्रास
28. क्यूडालौर	पत्तन अधिकारी, क्यूडालौर
29. नागापटनम	पत्तन अधिकारी, नागापटनम
30. पामबन	पत्तन सर्वेक्षक, पामबन
31. रामेश्वरम	पत्तन अधिकारी, राममेश्वरम
32. किलककाराय	पत्तन सर्वेक्षक, किलककाराय
33. टूटीकोरिन	इंजीनियर तथा पोत सर्वेक्षक, वाणिज्य समुद्री विभाग, टूटीकोरिन
34. कन्याकुमारी	पत्तन सर्वेक्षक, कन्याकुमारी
35. कोलाचल	पत्तन सर्वेक्षक, कोलाचल
36. मेचीलीपटनम	पत्तन अधिकारी, मेचीलीपटनम
37. काकीनाडा	राज्य पत्तन अधिकारी, काकीनाडा
38. विशाखापटनम	इंजीनियर तथा पोत सर्वेक्षक, वाणिज्य समुद्री, विभाग, विशाखापटनम
39. पेराद्वीप	उप सर्वेक्षक पेराद्वीप पत्तन ट्रस्ट, पेराद्वीप
40. कलकत्ता	मुख्य अधिकारी, वाणिज्य समुद्री विभाग, कलकत्ता।
41. राय चौक	पत्तन अधिकारी, राय चौक मिदनापुर, पश्चिम बंगाल ;
42. पोर्टब्लेयर	भारसाधक सर्वेक्षक, वाणिज्य समुद्री विभाग, कवरथी, पोर्टब्लेयर

[मिसिल सं. एस. डब्ल्यू 5/एम. एस आर (4)/36-एम ए)

2706 S&T/88—1

(Shipping Wing)

New Delhi, the 7th October, 1988

(Merchant Shipping)

G.S.R. 865.—In exercise of the powers conferred by section 435 D and 435 E of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby declares each of the ports specified in column (1) of the Table annexed hereto to be the ports of places of registry of Indian fishing boats and appoints the officers specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule to be the registers of Indian fishing boats in relation to such ports or places.

TABLE

Ports	Officers
(1)	(2)
1. Mandvi	The Dy. Executive Engineer and Port Officer, Mandvi
2. Navlakhi	Port Officer, Navlakhi
3. Jafrabad	Port Officer, Jafrabad
4. Kandla	Dy. Conservator, Kandla Port, Kandla, Gandhidham
5. Okha	Port Officer, Okha
6. Porbander	Port Officer, Porbander
7. Veraval	Port Officer, Veraval
8. Bhavnagar	Port Officer, Bhavnagar
9. Mahuva	Port Officer, Mahuva
10. Bombay	Principal Officer, Mercantile Mari Department, Bombay
11. Ratnagiri	Port Officer, Ratnagiri
12. Marmugao	Engineer & Ship Surveyor, Marmugao
13. Bandra	Port Officer, Bandra Group of Ports, Bandra, Bombay 400052.
14. Mora	Port Officer, Bandra Group of Ports, Bandra, Bombay 400052.
15. Rajpuri	Port Officer, Rajpuri Group of Ports, Marud, Janjira, Dist. Raigad
16. Vengurla	Port Officer, Vijaydurga, Vengurla Group of Ports, Vengurla, Dist. Sindhudurga
17. Karwar	Port Officer, Karwar
18. Honawar	Port Officer, Honawar
19. Coondapur	Port Officer, Coondapur
20. Mangalore	Port Officer, Mangalore
21. Malpe	Port Officer, Malpe
22. Calicut	Port Officer, Calicut
23. Cochin	Engineer & Ship Surveyor, Mercantile Marine Department, Cochin
24. Alleppey	Port Officer, Alleppey
25. Neendakara	Port Officer, Neendakara
26. Trivandrum	Director of Ports, Trivandrum, Kerala
27. Madras	Principal Officer, Mercantile Marine Department, Madras.
28. Cuddalore	Port Officer, Cuddalore
29. Nagapattinam	Port Officer, Nagapattinam
30. Pamban	Port Conservator, Pamban
31. Rameswaram	Port Officer, Rameswaram.
32. Kilakkarai	Port Conservator, Kilakkarai
33. Tuticorin	Engineer & Ship Surveyor, Mercantile Marine Department, Tuticorin
34. Kanniyakumari	Port Conservator, Kanniyakumari
35. Colachel	Port Conservator, Colachel
36. Machilipatnam	Port Officer, Machilipatnam
37. Kakinada	State Port Officer, Kakinada
38. Visakhapatnam	Engineer & Ship Surveyor, Mercantile Marine Department, Visakhapatnam
39. Paradeep	Dy. Conservator, Paradeep port Trust, Paradeep
40. Calcutta	Principal Officer, Mercantile Marine Department, Calcutta
41. Roy Chowk	Port Officer, Roy Chowk, Midnapur, West Bengal
42. Port Blair	Surveyor-in-charge, Mercantile Marine Department, Kaviathi, Port Blair.

[File No. SW/5-MSR(4)/86 MA]

सा. का. नि. 866—केन्द्रीय सरकार, वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) की धारा 435 क की उपधारा (2) के खण्ड (क) खण्ड (ख), खण्ड (ग) और खण्ड (ट) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वाणिज्य पोत परिवहन (मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं का रजिस्ट्रीकरण) नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं

इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अधिनियम" से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) अभिप्रेत है।

(ख) "केन्द्रीय रजिस्टर" से पोत परिवहन महानिदेशक द्वारा बनाए रखा गया मछली पकड़ने वाली नौकाओं का रजिस्टर अभिप्रेत है।

(ग) "प्रमाणपत्र" से अधिनियम की धारा 435 ख के अधीन दिया गया रजिस्ट्री प्रमाणपत्र अभिप्रेत है;

(घ) "प्ररूप" से अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट प्ररूप अभिप्रेत है;

(ङ) "रजिस्ट्री पत्तन" से मछली पकड़ने वाली नौका के संबंध में अधिनियम की धारा 435घ के अधीन अधिसूचित पत्तन अभिप्रेत है।

(च) "रजिस्ट्रार" से अधिनियम की धारा 435ङ. के अधीन नियुक्त मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं का रजिस्ट्रार अभिप्रेत है।

(छ) "अनुसूची" से इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ज) "टनभार" से किसी जलयान के संबंध में वाणिज्य पोत परिवहन (पोत टन भार माप मान) नियम 1987 के अधीन यथा अवधारित टन भार और अधिनियम की धारा 435 ख के खण्ड (ग) के अंतर्गत आने वाले चलत जलयान या किसी नौका या क्राफट के संबंध में वाणिज्य पोत परिवहन (चलते जलयान, टन भार मापमान) नियम, 1960 के अधीन यथा अवधारित टन भार अभिप्रेत है।

मछली पकड़ने वाली भारतीय नौकाओं का रजिस्ट्रीकरण

3. रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन---

(1) अधिनियम की धारा 435 ख के अधीन मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र दिए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन उस स्थान के जहां स्वामी निवास करता है या, जहां मछली पकड़ने वाली नौका का निर्माण किया जाता है या आस्थान है, निकटस्थ रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को प्ररूप 1 में किया जाएगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा :---

(क) यथा स्थिति, प्ररूप 2 या प्ररूप 3 में आवेदक द्वारा स्वामित्व की घोषणा;

(ख) मछली पकड़ने वाली नौका की हक दस्तावेजें;

(ग) निर्माणकर्ता का प्रमाणपत्र।

4. मछली पकड़ने वाली नौका का नाम---

(1) रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय स्वामी उस नाम का विनिर्दिष्ट करेगा जिसे वह मछली पकड़ने वाली नौका के लिए अपनाने की प्रस्थापना करता है।

(2) यदि स्वामी द्वारा प्रस्थापित नाम उस नाम जैसा ही है या उसके समान है जिसके द्वारा कोई अन्य मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका रजिस्ट्री के पत्तन पर पहले ही रजिस्ट्रीकृत हो चुकी है, तो रजिस्ट्रार स्वामी से कोई ऐसा अन्य नाम सुझाने की अपेक्षा कर सकेगा जिसके अधीन मछली पकड़ने वाली नौका रजिस्टर की जाएगी।

(3) जब स्वामी द्वारा सुझाए गए नाम का रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदन कर दिया गया हो तो मछली पकड़ने वाली नौका को उस नाम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर लिया जाएगा।

5. शासकीय संख्या

(1) नियम 3 के अधीन आवेदन की संवीक्षा पर यदि रजिस्ट्रार का आवेदक की राष्ट्रीयता और मछली पकड़ने वाली नौका के उसके हक के बारे में समाधान हो जाता है तो वह प्रत्येक रजिस्ट्री पत्तन पर रखी गई क्रमवार श्रेणियों से मछली पकड़ने वाली नौका को शासकीय संख्यांक समनुदेशित करेगा जिसके पूर्व अधिनियम की धारा 345 घ और 435-ङ. के अधीन अधिसूचित रजिस्ट्री पत्तन को उपदर्शित करने वाले तीन सुभेदक अक्षर होंगे।

(2) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका को एक बार समनुदेशित शासकीय संख्यांक में तब के सिवाए कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जब मछली पकड़ने वाली नौका को अन्य रजिस्ट्री पत्तन पर रजिस्ट्रार किया गया हो और न ही शासकीय संख्यांक किसी अन्य जलयान को पुनः समनुदेशित किया जाएगा।

6. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के टन-भार का अभिनिश्चय करने की रीति :

(1) मछली पकड़ने वाले जलयान का प्रत्येक स्वामी उसके टन भार का अभिनिश्चय वाणिज्य पोत परिवहन (पोत टन-भार मापमान) नियम, 1987 के अनुसार करवाएगा :

(2) अधिनियम की धारा 435-ख के खण्ड (ख) के अन्तर्गत आने वाले किसी चलत जलयान या नौका या क्राफ्ट का प्रत्येक स्वामी उसके टन भार का अभिनिश्चय वाणिज्य पोत परिवहन (चलत जलयान टन-भार मापमान) नियम 1960 के अनुसार करवाएगा।

7. रजिस्ट्री प्रमाण पत्र :

(1) रजिस्ट्रार, मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का टन-भार अभिनिश्चय कर लिए जाने के पश्चात् अधिनियम की धारा 435-छ की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट विशिष्टियों को अपने द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्ररूप 4 में रखे गए रजिस्टर में दर्ज करेगा और एक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र दे देगा।

(2) अधिनियम की धारा 435-छ की उपधारा (4) के अधीन दिया गया प्रत्येक रजिस्ट्री प्रमाणपत्र प्ररूप 5 में होगा :

(3) रजिस्ट्री प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रार, सीमाशुल्क या वाणिज्यिक समुद्री विभाग के किसी अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर, स्वामी, स्कीपर या टिंडल या मछली पकड़ने वाली नौका के भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

8. मछली पकड़ने वाली नौकाओं पर नाम और शासकीय संख्यांक आदि पेन्ट करने की रीति :

(1) रजिस्ट्री पत्तन, मछली पकड़ने वाली नौका को वह नाम जिस से वह रजिस्ट्रीकृत की गई है और नियम 5 के अधीन उसको समनुदेशित शासकीय संख्यांक उपदर्शित करने वाले सुभेदक अक्षर दबुसा के निकट मछली पकड़ने वाली नौका के दोनों हिस्सों पर काली पृष्ठभूमि देकर सफेद तेल रंग में प्रादेशिक भाषा में और हिंदी वर्णमाला में अंग्रेजी में पेन्ट किए जाएंगे।

(2) पेन्ट किए गए सभी अक्षर और अंक ऐसे आकार के होंगे जो रजिस्ट्रार प्रत्येक मामले में अवधारित करे किन्तु ऊंचाई में एक डेसिमीटर और चौड़ाई में 2 सेंटीमीटर से कम नहीं होंगे।

(3) इस नियम में निर्दिष्ट अक्षर और अंक मछली पकड़ने वाली नौका से सम्बद्ध डिंगियों पर भी पेन्ट किए जाएंगे।

9. नाम का परिवर्तन :

(1) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका के नाम में जिसके अधीन वह रजिस्ट्रीकृत की गई है, ऐसी रजिस्ट्री के पश्चात्, कोई परिवर्तन या तबदीली रजिस्ट्रार के अनुमोदन के बिना नहीं की जाएगी।

(2) मछली पकड़ने वाली ऐसी नौका के नाम के परिवर्तन के लिए प्रत्येक आवेदन मछली पकड़ने वाली नौका के रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को किया जाएगा और उसमें प्रस्थापित परिवर्तन के कारण विनिर्दिष्ट किए जाएंगे।

(3) यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि प्रस्थापित परिवर्तन उचित और आवश्यक है तो वह ऐसे परिवर्तन का अनुमोदन कर देगा ;

(4) जहां मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का नाम जो बंधकित है, परिवर्तित किया जाना हो वहां बंधकदार की सम्मति भी ऐसे प्रस्थापित परिवर्तन के लिए अभिप्राप्त की जाएगी ।

(5) वह नया नाम जो रजिस्ट्रार द्वारा अनुमोदित किया गया है, उस मछली पकड़ने वाली नौका के रजिस्ट्री के प्रमाण पत्र में रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा और तदनुसार नियम 8 के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौका पर पेंट किया जाएगा ।

10. परिवर्तन की रजिस्ट्री :

(1) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री के परिवर्तन के लिए आवेदन ऐसे परिवर्तन के एक मास के भीतर उस पत्तन के रजिस्ट्रार को जहां मछली पकड़ने वाली नौका रजिस्ट्रीकृत है, प्ररूप 6 में किया जाएगा ।

(2) जहां परिवर्तनों का मछली पकड़ने वाली नौका के आकार या टन भार पर तात्विक रूप से प्रभाव नहीं पड़ता है वहां रजिस्ट्रार परिवर्तनों को रजिस्टर में और मछली पकड़ने वाली नौका के रजिस्ट्री के प्रमाणपत्र में भी दर्ज करेगा ।

(3) जहां परिवर्तनों से मछली पकड़ने वाली नौका के आकार या टन भार पर तात्विक रूप से प्रभाव पड़ता हो वहां रजिस्ट्रार मछली पकड़ने वाली नौका को नए तौर पर रजिस्टर करेगा ।

11. रजिस्ट्री का अंतरण :

(1) यदि मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका में हित रखने वाले सभी व्यक्ति चाहे स्वामी के रूप में या बंधक के रूप में, यह वांछा करते हैं कि मछली पकड़ने वाली नौका की रजिस्ट्री एक पत्तन से दूसरे पत्तन को अंतरित कर दी जाए, तो वे ऐसे अंतरण के लिए रजिस्ट्री के पत्तन के रजिस्ट्रार को प्ररूप 7 में आवेदन कर सकेंगे ।

(2) यदि रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्थापित अंतरण अनापत्तिजनक है तो वह मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका और उस पर विलंगमों, यदि कोई हों, की विशिष्टियों को आशयित रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को भिजवाएगा ।

(3) आशयित रजिस्ट्री पत्तन पर रजिस्ट्रार, अपना यह समाधान करने के पश्चात् कि पत्तन के सुभेदक अक्षरों सहित नया शासकीय संख्यांक नियम 8 के उपबंधों के अनुसार मछली पकड़ने वाली नौका पर सम्यक् रूप से चिन्हांकित कर दिया गया है, एक नया रजिस्ट्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका को समनुदेशित शासकीय संख्यांक और उसकी रजिस्ट्री की तारीख को मूल पत्तन के रजिस्ट्रार को संसूचित करेगा ।

12. रजिस्ट्री का बंद किया जाना :

(1) जहां मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री नियम 11 के अधीन अन्तरित की जाती है वहां मूल रजिस्ट्री पत्तन का रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री को बंद कर देगा ।

(2) जहां किसी पत्तन पर मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री अधिनियम की धारा 435-त के अधीन या उप नियम-3 के अधीन बंद कर दी जाती है वहां पत्तन का रजिस्ट्रार उस मछली पकड़ने वाली नौका की, जिसकी रजिस्ट्री बन्द कर दी गई है, विशिष्टियों के विवरण को और उन परिस्थितियों को जिसमें रजिस्ट्री बंद कर दी गई है पोत परिवहन महानिदेशक को तुरंत प्रस्तुत करेगा ।

13. मछली पकड़ने वाली नौका या उसमें के हित का अंतरण :

(1) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का स्वामी, या संयुक्त स्वामित्व की दशा में सभी स्वामी जो ऐसी मछली पकड़ने वाली नौका को या उसमें के किसी हित को अन्तरित करना चाहते हैं, ऐसा करने की अनुज्ञा के लिए रजिस्ट्री पत्तन के रजिस्ट्रार को आवेदन करेंगे ।

(2) रजिस्ट्रार, ऐसी जांच जो वह आवश्यक समझे करने के पश्चात् आवेदन को उस पर अपनी सिफारिशों सहित, अनुमोदनार्थ पोत परिवहन महानिदेशक को अग्रेषित करेगा ।

(3) यदि प्रस्थापित अंतरण का अनुमोदन कर दिया जाता है और विक्रय हो जाने के पश्चात् अंतरित पत्तन के रजिस्ट्रार को मछली पकड़ने वाली नौका के स्वामित्व की एक घोषणा अंतरण की लिखित और रजिस्ट्री के विद्यमान प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करेगा और तदुपरि रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में अंतरण की विशिष्टियों को दर्ज करेगा और एक नया रजिस्ट्री प्रमाणपत्र जारी करेगा ।

14. मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का बंधक :

(1) मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका या उसमें के किसी हित के बंधक को प्रत्येक लिखित यथास्थिति, प्ररूप 8 या प्ररूप 9 में होगी ।

(2) रजिस्ट्रार अपना यह समाधान करने के पश्चात कि बंधक की लिखत उचित रूप से निष्पादित की गई हैं, उसे तारीख और स्वीकार किए जाने के घंटों सहित अपने रजिस्टर में अभिलिखित करेगा और उस आशय का एक पृष्ठांकन बंधक लिखित पर भी करेगा ।

(3) जहां मछली पकड़ने वाली एक ही नौका के संबंध में दो या अधिक बंधक है वहा उनकी संबंधित पूर्विकताएं कार्यक्रमानुसार अक्षर क, ख, ग, द्वारा समुचित स्तंभ में रजिस्टर में उपदर्शित को जाएगी ।

(4) जहां किसी कम्पनी या किसी सहकारी सोसाइटी की मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका को संबंधित किया जाता है वहा रजिस्ट्रार बंधक को तब तक रजिस्टर नहीं करेगा जब तक वह यथास्थिति, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 134 के अधीन कम्पनी रजिस्ट्रार के यहा या सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 (1912 का 2) के अधीन या किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित किसी अन्य विधि के अधीन सहकारी सोसाईटियों के रजिस्ट्रार के यहां रजिस्ट्रीकृत न कर लिया गया हो ।

(5) जहां बंधक ऋण पूर्ण रूप से उन्मोचित हो चुका है वहां रजिस्ट्रार, अपना यह समाधान करने के पश्चात कि बंधक लिखत पर पृष्ठांकित रसीद ठीक है और वह समुचित रूप से साक्षियत है और, जहां बंधक किसी कम्पनी या सहकारी सोसाईटी द्वारा किया गया है वहां पुष्टि का एक ज्ञापन, यथास्थिति कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 138 के अधीन या सहकारी सोसाईटी अधिनियम, 1912 के अधीन परिवर्तन के रजिस्टर में दर्ज किया गया है तो वह बंधक के उन्मोचन से संबंधित रजिस्टर में प्रविष्टि करेगा ।

(6) बंधक ऋण की किसी किस्त का कोई संदाय रजिस्टर में अभिलिखित नहीं किया जाएगा ।

15. विधि के प्रवर्तन द्वारा स्वामित्व का अंतरण :

(1) जहां मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका का हक विधि के प्रवर्तन द्वारा किसी व्यक्ति पर न्यागत हो जाता है वहां ऐसा व्यक्ति उन परिस्थितियों को जिन में उसने मछली पकड़ने वाली नौका का हक अर्जित किया है विनिर्देश करते हुए और ऐसे अर्जन का साक्ष्य भी देते हुए रजिस्ट्रार को आवेदन करेगा ।

(2) यदि रजिस्ट्रार का ऐसी जांच जो वह ठीक समझे, करने के पश्चात आवेदक के दावे के बारे में समाधान हो जाता है तो वह स्वामित्व के परिवर्तन की विशिष्टियों को अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा और मछली पकड़ने वाली नौका के रजिस्ट्री प्रमाणपत्र में उन विशिष्टियों को भी पृष्ठांकित करेगा।

16. अवयस्कों के स्वामित्वाधीन मछली पकड़ने वाली नौकाएं :

(1) जहां मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका किसी अवयस्क के संरक्षण के रूप में किसी व्यक्ति के नाम में रजिस्ट्रीकृत हो वहां मछली पकड़ने वाली नौका का स्वामित्व अवयस्क के पास रहेगा और वयस्कता प्राप्त करने पर वे मछली पकड़ने वाली नौका से संबंधित रजिस्टर में विशिष्टियों के परिवर्तन के लिए रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार तब आवेदक के नाम में नया प्रमाणपत्र जारी करेगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी।

17. अनन्तिम रजिस्ट्री प्रमाणपत्र :

(1) जहां मछली पकड़ने वाली भारतीय नौका की रजिस्ट्री के लिए या पुन: नए सिरे से रजिस्ट्री के लिए कोई आवेदन रजिस्ट्रार के समक्ष लंबित है और रजिस्ट्रार की, मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राय है कि मछली पकड़ने वाली नौका को रजिस्ट्री प्रमाणपत्र के जारी किए जाने तक पत्तन पर निरुद्ध न किया जाए तो वह प्ररूप 10 में अनन्तिम रजिस्ट्री प्रमाणपत्र जारी कर सकेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक अनन्तिम प्रमाणपत्र मछली पकड़ने वाली नौका की और मछली पकड़ने वाली नौका के स्वामी और स्कीपर या टिंडल या उसके भारसाधक किसी अन्य व्यक्ति की विशिष्टियों को अथवा नए सिरे से रजिस्ट्री की दशा में, मूल रजिस्ट्री प्रमाणपत्र में दर्ज की गई विशिष्टियों को विनिर्दिष्ट करेगा।

(3) अंतिम प्रमाणपत्र तीन मास से अनधिक ऐसी अवधि के लिए जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए विधिमान्य होगा।

परन्तु यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाता है कि मामले की परिस्थितियों में ऐसा करना आवश्यक है तो वह अनन्तिम प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की अवधि को दो मास से अनधिक की और अवधि के लिए बढ़ा सकेगा।

(4) अनन्तिम प्रमाणपत्र उसकी वैधता की अवधि की समाप्ति पर या एक नियमित रजिस्ट्री प्रमाणपत्र जारी किए जाने के समय पर इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

18. प्रमाणपत्रों की दूसरी प्रतियों का जारी किया जाना :

(1) यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि मूल प्रमाणपत्र नष्ट हो गया है, खो गया है, गुम हो गया है, विकृत या विरूपित हो गया है तो वह स्वामी द्वारा इस निमित्त किए गए आवेदन पर, रजिस्ट्री प्रमाणपत्र को दूसरी प्रति जारी करेगा जिस पर "द्वितीय प्रति" लाल स्याही में लिखा होगा।

(2) रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ उन परिस्थितियों की बाबत जिनमें मूल प्रमाणपत्र नष्ट हो गया था, खो गया था, गुम हो गया था, विकृत या विरूपित हो गया था एक घोषणा होगी।

(3) जहां रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति इस आधार पर, अभिप्राप्त की गई है कि मूल प्रति खो गई है या गुम हो गई है, और तत्पश्चात ऐसी मूल प्रति स्वामी को मिल जाती है या प्राप्त हो जाती है तो वह मूल प्रमाणपत्र तुरंत रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित करेगा जो उसे खारिज कर देगा।

(4) रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति इस आधार पर मंजूर नहीं की जाएगी कि मूल प्रति विकृत या विरूपित हो गई है जब तक कि विकृत या विरूपित प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार को अभ्यर्पित न कर दिया जाए।

19. केन्द्रीय रजिस्टर :

(1) पोत परिवहन महानिदेशक केन्द्रीय रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में अभिलिखित सभी प्रविष्टियां समाविष्ट होंगी।

(2) पत्तन पर मछली पकड़ने वाली नौका की रजिस्ट्री के पूरा हो जाने पर पत्तन का रजिस्ट्रार मछली पकड़ने वाली नौका से संबंधित अपने रजिस्टर में की प्रविष्टियों की एक प्रति तुरन्त उक्त महानिदेशक को भेजेगा।

(2) रजिस्टर में बाद में अभिलिखित किए गए प्रत्येक अन्य संव्यवहारों की विशिष्टियों को भी तुरन्त उक्त महानिदेशक को रिपोर्ट किया जाएगा।

20. रजिस्टर का निरीक्षण और प्रविष्टियों की प्रतियों का प्रदाय :

(1) रजिस्ट्रार द्वारा बनाए रखा गया रजिस्टर इस निमित्त किए गए आवेदन पर और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर, किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्यालय घंटों के दौरान निरीक्षण के लिए खुला रहेगा।

(2) रजिस्टर में की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रति इस निमित्त किए गए आवेदन पर और अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर रजिस्ट्रार द्वारा किसी व्यक्ति को दी जा सकेगी।

21. स्वामित्व की घोषणा :

इन नियमों के अधीन स्वामित्व की प्रत्येक घोषणा रजिस्ट्रार, जस्टिस आफ दि, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, मामलातदार या शपथ आयुक्त के समक्ष की जाएगी।

22. फीस :

इन नियमों के अधीन फीस अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट दरों पर और प्रयोजनों के लिए उद्ग्रहीत की जाएगी और संव्यवहार अभिलिखित करने के लिए आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को संदत्त की जाएगी।

23. विद्यमान मछली पकड़ने वाली नौकाओं की विशिष्टियों का दर्ज किया जाना :

(1) ऐसी प्रत्येक मछली पकड़ने वाली नौका का स्वामी जो इन नियमों के प्रारंभ के पूर्व रजिस्ट्रीकृत थी ऐसे प्रारंभ के तीन मास की अवधि के भीतर सुसंगत रजिस्ट्री प्रमाणपत्र रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करेगा :

परन्तु पोत परिवहन महानिदेशक पर्याप्त कारणों से उक्त अवधि को छह मास तक बढ़ा सकेगा।

(2) रजिस्ट्रार अपने रजिस्टर में मछली पकड़ने वाली नौका की और मछली पकड़ने वाली नौका के या उसमें के किसी हित के बरादेय बंधक की विशिष्टियों को अपने रजिस्टर में दर्ज करेगा और मछली पकड़ने वाली नौका को एक नया शासकीय संख्यांक भी समनुदेशित करेगा।

(3) उप नियम (2) के अधीन समनुदेशित शासकीय संख्यांक उस संख्यांक, यदि कोई हो, के स्थान पर जो उस पर पहले से ही पेंट किया गया हो, नियम 8 में विनिर्दिष्ट रीति से पेंट किया जाएगा।

अनुसूची 1

एफ बी प्ररूप 1

भारत सरकार द्वारा
जारी किया गया ।

मछली पकड़ने वाली नौका की रजिस्ट्री के लिए आवेदन
[नियम 3 (1)]

मछली पकड़ने वाली नौका का रजिस्ट्रार,
श्रीमान जी,------------------------पत्तन

मैं/हम---का---
जो---से ज्ञात मछली पकड़ने वाली नौका का स्वामी हूं/हैं, यह प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि उक्त मछली पकड़ने वाली नौका को मेरे/हमारे नाम में रजिस्टर किया और रजिस्ट्री प्रमाणपत्र मुझे/हमें जारी किया जाए ।

2. उक्त मछली पकड़ने वाली नौका के संबंध में विशिष्टियां निम्न प्रकार हैं :--

(1) स्वामी का नाम और पूरा पता --

(2) उपजीविका --

(3) कब से, कब और किस प्रकार मछली पकड़ने वाली नौका अर्जित की गई थी ----------------------

(4) निर्माण के स्थान और वर्ष (निर्माणकर्ता का नाम और पता, यदि ज्ञात हो) ----------------------

(5) मछली पकड़ने वाली नौका की किस्म क्या वह खुली हुई/अर्द्ध डैककी हुई/डैक की हुई/सहायक इंजन से युक्त है --

(6) विनिर्माता के नाम सहित उस इंजन का वर्णन और किस्म, अश्व शक्ति और पूर्णतः भारित दशा में गति --

(7) रजिस्ट्री पत्तन और शासकीय सं. यदि पहले रजिस्ट्रीकृत हों --

(8) क्या मछली पकड़ने वाली नौका का कोई पूर्व बंधक है यदि हां तो उसकी विशिष्टियां

3. निम्नलिखित दस्तावेजें इसके साथ संलग्न हैं :--

(क) स्वामित्व की घोषणा

(ख) निर्माणकर्ता का प्रमाणपत्र (नए जलयानों के रजिस्ट्रीकरण की बाबत)

या

विक्रयाधिकार यदि क्रय किया गया हो ।

4. मैं/हम यह प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि मछली पकड़ने वाली जलयान के लिए नाम का निम्नलिखित में से अनुमोदन किया जाए :

1
2
3

} इनमें से केवल एक का अनुमोदन किया जाए ।

स्थान--------------------

तारीख--------------------

स्वामी के हस्ताक्षर या बाएं अंगूठे
का निशान ।

एफ बी प्ररूप 2

स्वामित्व की घोषणा

[व्यष्टियों/संयुक्त स्वामियों/भागीदारी फर्म द्वारा]

[नियम 3(2) देखिए]

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी, यह घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम भारत का नागरिक हूं/हैं,-------------------------- --में स्थाई रूप से निवास करता हूं/करते हैं और मेरा/हमारा कारवार का मुख्य स्थान-----------------------------------में है और यह कि-----------------------से ज्ञात मछली पकड़ने वाली नौका जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं,------------------वर्ष में निर्मित की गई थी और मेरे/हमारे द्वारा-------------------रु. में क्रय की गई थी, मेरे/हमारे द्वारा सारवान रूप से परिवर्तित और पुनः निर्मित की गई थी और जिसे-----------------------------से मैंने/हमने विरसात में प्राप्त किया था जिसका नाम उक्त मछली पकड़ने वाली नौका के स्वामी के रूप में रजिस्टर में दिया गया है, और उसकी तारीख-------------को------------ बजे मृत्यु हो गई थी और यह कि मैं/हम उक्त मछली पकड़ने वाली नौका का एकमात्र स्वामी हूं/है और यह कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों का उस संपत्ति में या उस पर कोई विधिक या हिताधिकारी हित, अधिकार, हक, संपत्ति शेयर नहीं है । और मैं/हम यह घोषणा सही मानते हुए सत्यनिष्ठापूर्वक करता हूं/करते हैं ।

मछली पकड़ने वाली नौका की विशिष्टियां

शासकीय सं., तारीख और रजिस्ट्री का पत्तन--------------------------------रजिस्ट्रीकृत आकार--------------------------------
लम्बाई------------------------------------चौड़ाई--------------------------------गहराई--------------------------------

सकल टनभार------------------------------------ रजिस्टर टन भार ------------------------------------
घन मीटर ------------------------------------ घन मीटर ------------------------------------

हस्ताक्षर

मेरे समक्ष तारीख------------------------198 को घोषित किया गया ।

कार्यालय की मुहर

हस्ताक्षर और पदाभिधान

एफ बी प्ररूप 3

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया ।
स्वामित्व की घोषणा
(कंपनी द्वारा)
[नियम 3 (2) देखिए]

मैं अधोहस्ताक्षरी, जो--------------------------------में स्थाई रूप से निवास करता हूं और ------------------कंपनी लिमिटेड का सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता/सम्यक् रूप से नियुक्त अटर्नी होने के नाते, निम्न प्रकार घोषित करता हूं :--

उक्त कंपनी, कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन----------------------को रजिस्टर की गई थी और उसके कारवार का मुख्य स्थान--------------- में है जहां सभी महत्वपूर्ण कारबार का नियंत्रण और प्रबंध किया जाता है। उक्त कंपनी वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 की धारा 21 के खंड (ख) की अपेक्षाओं को पूरा करती है और----------------------------के नाम से ज्ञात मछली पकड़ने वाली नौका की जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं, एकमात्र स्वामी हैं। उक्त मछली पकड़ने वाली नौका-----------------------में वर्ष---------------------में निर्मित की गई थी और उक्त कंपनी द्वारा-------------------रु. में क्रय की गई थी तथा उसमें उक्त कंपनी द्वारा मुख्य परिवर्तन किए गए थे और वह पुनः निर्मित की गई थी ।

मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों का उक्त मछली पकड़ने वाली नौका में कोई विधिक या हिताधिकारी हित, अधिकार, हक, संपत्ति का शेयर नहीं है और मैं यह घोषणा उसे सही मानते हुए सत्यनिष्ठापूर्वक करता हूं ।

मछली पकड़ने वाली नौका की विशिष्टियां

शासकीय सं., तारीख और रजिस्ट्री का पत्तन--------------------------------रजिस्ट्री का आकार--------------------------------
लंबाई------------------------------------चौड़ाई--------------------------------गहराई--------------------------------

सकल टनभार——————————— रजिस्ट्री टनभार ———————————
घन मीटर——————:—————— घन मीटर ———————————

मेरे समक्ष आज तारीख———————————198 को घोषित किया गया।

कंपनी लिमिटेड/ के लिए उस की ओर से———————————

हस्ताक्षर——————————

कार्यालय की मुहर

पदाभिधान ——————————

एफ बी प्ररूप 4

मछली पकड़ने वाली नौकाओं का रजिस्टर

[नियम 7 (1) देखिए]

शासकीय सं.——————————
रजिस्ट्री की
तारीख और पत्तन ——————————

मछली पकड़ने वाली नौका का नाम——————————

स्वामी(यों) की विशिष्टियां

स्वामी(यों) का/के नाम	स्थाई निवास या कारबार का मुख्य स्थान	उपजीविका	प्रत्येक द्वारा धारित शेयर

मछली पकड़ने वाली नौका का वर्णन :

(क) किस्म, क्या वह खुली हुई, डैक की हुई, या अर्द्ध डैक की गई है।
(ख) आकार और सामग्री
(ग) हल——क्या, लकड़ी, इस्पात या संयुक्त है
(घ) निर्माण का स्थान और वर्ष
(ङ) निर्माणकर्ता का नाम और पता
(च) मैस्ट सं.
(छ) बल्कहैड सं.
(ज) होल्ड सं.
(झ) रिग्ड

टनभार का आकार और विशिष्टियां :

रजिस्ट्रीकृत आकार

(क) लम्बाई :
(ख) चौड़ाई
(ग) गहराई

सकल टनभार
घनमीटर
रजिस्ट्री टनभार
घनमीटर

सहायक इंजन(नों), (यदि कोई हो) की विशिष्टियां :

(क) किस्म, मेक, इंजन(नों) का नाम
(ख) निर्माण का वर्ष
(ग) विनिर्माता का नाम और पता
(घ) सिलेंडर की सं. और आकार
(ङ) स्ट्रोक की लम्बाई
(च) ब्रेक अश्वशक्ति
(छ) आर पी. एम.
(ज) गति
(i) पूर्ण रूप से भारित
(ii) हल्की दशा

कर्मीदल की विशिष्टियां :

उचित मौसम — खराब मौसम

(क) कर्मी दल
(ख) इंजिन कर्मीदल

मछली पकड़नक वाली नौका का रजिट्रार

भारत सरकार द्वारा
जारी किया गया।

एफ बी प्ररूप-5

मछली पकड़ने वाली नौका का
रजिस्ट्री का प्रमाणपत्र
[देखिए नियम 7(2)]

यह प्रमाणित किया जाता है कि----------------------------ने जो------------------------का है: यह घोषणा की है कि------------- का एकमात्र स्वामी है या हैं जो---------------------------के नाम से ज्ञात है और यह कि उक्त ----------------------------------जिसकी पहचान विशिष्टियां--नीचे उपाबद्ध हैं, वर्ष-----------------में--------------------- निर्मित की गई थी। उक्त का--------------------------------------का वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 (1958 का 44) के अधीन-------------------------------------के पत्तन पर सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।
आज तारीख-------------------------------------दिन--19--------------
को मेरे हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित किया गया।

मछली पकड़ने वाली नौका की विशिष्टियां

शासकीय सं. -- रजिस्ट्री पत्तन --

रजिस्ट्रीकृत आकार ------------------------------------

लम्बाई---

चौड़ाई --

गहराई---

सकल टन भार --- घन मीटर --

मछली पकड़ने वाली नौका के पत्तन का रजिस्ट्रार

टिप्पण:

(1) प्रमाणपत्र किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने पर निरीक्षण के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए।
(2) जब प्रमाणपत्र प्रवृत्त हो तब मछली पकड़ने वाली नौका का नाम और अन्य चिह्नांकन नहीं हटाया जाना चाहिए।
(3) यदि जलयान गुम हो जाए, टूट जाए या सेवा के लिए उपयुक्त न रहे, तब यह प्रमाणपत्र मछली पकड़ने वाली नौका के रजिस्ट्री पत्तन पर रजिट्रार को अभ्यर्पित किया जाना चाहिए।

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

एफ बी प्ररूप 6

परिवर्तनों के लिए रजिस्ट्री के लिए आवेदन [नियम 10(1) देखिए]

सेवा में,
मछली पकड़ने वाली नौका के रजिस्ट्रार
....................पत्तन।

श्रीमानजी,

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी ....जो..............................के नाम से ज्ञात मछली पकड़ने वाली नौका का, जिसका शासकीय संख्यांक..............है, स्वामी होने के नाते यह रिपोर्ट करता हूं/करते हैं कि तारीख............को मछली पकड़ने वाली नौका में निम्नलिखित परिवर्तन किए गए हैं। अतः मैं/हम यह प्रार्थना करता हूं/करते हैं कि इन परिवर्तनों को कृपया रजिस्टर कर लिया जाए और एक नया रजिस्ट्री प्रमाणपत्र विहित फीस के संदाय पर जारी किया जाए।

मछली पकड़ने वाली नौका का विद्यमान रजिस्ट्री प्रमाणपत्र इसके साथ वापस लौटाया जाता है।

स्वामी (यों) के हस्ताक्षर

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

एफ बी प्ररूप 7

रजिस्ट्री के पत्तन के अंतरण के लिए आवेदन [नियम II(II) देखिए]

सेवा में,
मछली पकड़ने वाली नौका का रजिस्ट्रार,
....................पत्तन।

श्रीमानजी,

मैं/हम..अधोहस्ताक्षरी..............................जो..............................के नाम से ज्ञात मछली पकड़ने वाली नौका का, जिसका शासकीय संख्यांक..................जो आपके पत्तन पर रजिस्ट्रीकृत है, स्वामी होने के नाते यह प्रार्थना करता हूं/करते है कि उक्त मछली पकड़ने वाली नौका की रजिस्ट्री निम्नलिखित कारणों से..................पत्तन को अंतरित कर दी जाए।

*2. उक्त मछली पकड़ने वाली नौका·························के पक्ष में बंधकित की गई जैसा कि आपके द्वारा बनाए गए रखे गए रजिस्टर से सत्यापित होगा और बंधकदारों को प्रस्थापित अंतरण के लिए कोई आपत्ति नहीं है। इस संबंध में, उसके/उनके तारीख··················के पत्र जिसमें························पर रजिस्ट्री पत्तन के अंतरण की सहमति व्यक्त की गई है आपके अभिलेख के लिए मूल रूप में संलग्न किया जाता है।

भवदीय,

---

*जो लागू न हो उसको काट दें।

एफ बी प्ररूप 8

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

बंधक की लिखत

(व्यष्टियों/संयुक्त स्वामियों/भागीदारी फर्मों द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए)

[नियम 14(1) देखिए]

मैं/हम, अधोहस्ताक्षरी·························आज रुपए की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप जो························द्वारा मुझे/हमें उधार दिए गए हैं जिसका स्थाई निवास/मेरा/हमारा कारबार का स्थान.······················में है, अपनी/हमारी ओर से और मेरे/हमारे वारिस, निष्पादक या प्रशासक उक्त··················के साथ यह प्रसंविदा करता हूं/करते हैं कि प्रथमतः मैं/हम और/या मेरे/हमारे वारिस, निष्पादक या प्रशासक उक्त·····················को तारीख··················को प्रति वर्ष················.प्रतिशत की दर पर······················रु. को राशि का उस पर ब्याज सहित संदाय करूंगा/करेंगे और द्वितीयतः, यदि उक्त मूल धनराशि का उक्त दिन को संदाय नहीं किया जाता है तो मैं/हम या मेरे/हमारे वारिस निष्पादक या प्रशासक, ऐसे समय के दौरान जिसके दौरान वह धन राशि या उसका कोई भाग असंदत्त रह जाता है, उक्त················को पूर्ण धनराशि या उसके ऐसे भाग पर जो तत्समय असंदत्त रहे, प्रति वर्ष············के·········में दिन

और.····················के··········में दिन समान अर्द्धवार्षिक संदायों द्वारा प्रति वर्ष··················प्रतिशत की दर पर संदाय करूंगा/करेंगे और यह कि उक्त मूल राशि और उस पर ब्याज के पूर्वोक्त रीति में पुनः संदाय को उक्त·············को भलीभांति सुनिश्चित करने के लिए मैं/हम उक्त··················को······················के नाम से ज्ञात मछली पकड़ने वाली नौका को जिसका शासकीय सं.......है और जिसका रजिस्ट्री पत्तन·····················में है, उसकी सभी नौकाओं, अनुलग्नकों आदि सहित उक्त················को बंधक करता हूं/करते हैं। अंततः, मैं/हम अपनी/हमारी ओर से मेरे/हमारे वारिसों निष्पादकों या प्रशासकों की ओर से उक्त........................के और उसके/उनके अभ्यर्थकों के साथ यह प्रसंविदा करता हूं/करते हैं कि मुझे/हमें उक्त मछली पकड़ने वाली नौका को पूर्वोक्त रीति में बंधक करने की शक्ति प्राप्त है और उसको छोड़ कर जो उक्त जलयान के रजिस्टर से प्रकट हो विलंगमों से मुक्त है।

ऊपर नामित व्यक्ति द्वारा मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर························

पदाभिधान························

कार्यालय की मुहर··················

आज तारीख··················को लिखित प्रतिभूति के उन्मोचन में··················रु. को राशि प्राप्त की।

मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए।

हस्ताक्षर.······················

बंधकदार (रों) के हस्ताक्षर

पदाभिधान······················

कार्यालय की मुहर

एफ बी प्ररूप 9

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

बंधक की लिखत

(कंपनी या निगमित निकाय द्वारा निष्पादित किए जाने के लिए)

[नियम 14(1) देखिए]

हम,························.कंपनी लि. जिसका कारबार का स्थान··················.में है··················रुपए की धनराशि के प्रतिफलस्वरूप जो आज··················.द्वारा मुझे/हमें उधार दिए गए हैं, जिसका स्थाई निवास/कारबार का स्थान··········में है, अपनी/अपने उत्तराधिकारियों की ओर से उक्त·············और उसके/उनके अभ्यर्थकों के साथ प्रसंविदा करते हैं कि प्रथमतः हम/हमारे उत्तराधिकारी उक्त················या उसके द्वारा या उनके अभ्यर्थकों को 198 के···········वें दिन को प्रति वर्ष··············प्रतिशत की दर पर··················.रु. की राशि का उस पर ब्याज सहित संदाय करेंगे और द्वितीयतः यदि उक्त मूल धनराशि का उक्त दिन को संदाय नहीं किया जाता है तो मैं/या हमारे उत्तराधिकारी, ऐसे समय के दौरान जिसके दौरान उक्त धनराशि या उसका कोई भाग असंदत्त रह जाता है, उक्त...को पूर्ण धनराशि या उसके ऐसे भाग पर जो तत्समय असंदत्त रहता है, हर वर्ष में··········के··········वें दिन और·······के·······वें दिन समान अर्द्धवार्षिक संदायों द्वारा प्रति वर्ष···········प्रतिशत की दर पर संदाय करूंगा/करेंगे और यह कि उक्त·············को मूल राशि और उस पर ब्याज के पूर्वोक्त रीति में पुनः संदाय को भलीभांति सुनिश्चित करने के लिए मैं/हम···················के नाम से ज्ञात मछली पकड़ने वाली नौका को, जिसका शासकीय सं················है और जिसका रजिस्ट्री पत्तन·············में है, सभी नौकाओं, अनुलग्नकों आदि सहित उक्त·····को बंधक करता हूं/करते हैं। अंततः हम अपनी/अपने उत्तराधिकारियों, की ओर से उक्त··················और उसके/उनके अभ्यर्थकों के साथ यह

प्रसंविदा करते हैं कि हमें उक्त जलयान को उसकी सभी नौकाओं और अनुलग्नकों सहित बंधक करने की शक्ति प्राप्त है और उक्त जलयान उसको छोड़कर जो उक्त जलयान के रजिस्टर से प्रकट हों, विलंगमों से मुक्त है।

इसके साक्ष्य स्वरूप आज तारीख .... को हमने अपने नाम के हस्ताक्षर कर दिए हैं और सामान्य मुद्रा लगा दी है ?

हस्ताक्षर
.... कंपनी लिमिटेड के लिए और उसकी ओर से।

ऊपर नामित व्यक्ति द्वारा
मेरी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए

कंपनी की मुहर

हस्ताक्षर

पदाभिधान

कार्यालय की मोहर

एफ वी प्ररूप 10

भारत सरकार द्वारा जारी किया गया।

अन्तिम रजिस्ट्री प्रमाणपत्र

[नियम 17(1) देखिए]

यह प्रमाणित किया जाता है कि मछली पकड़ने वाली नौका .... शासकीय संख्यांक .... जिसका टन भार ...... और जो कि रजिस्ट्री प्रमाणपत्र जारी किया जाना लम्बित रहने के दौरान चलाई जाने के लिए अनुज्ञात की जाती है।

यह अनन्तिम प्रमाणपत्र 3 मास की अवधि के लिए या मछली पकड़ने वाली नौका को रजिस्ट्री प्रमाणपत्र दिए जाने तक इन दोनों में से जो भी पूर्वतर हो, प्रवृत्त होगा।

.... पत्तन

तारीख ....

मछली पकड़ने वाली नौका का रजिस्ट्रार

[नियम 20 और 22 देखिए]

		रु.
(1)	प्रारंभिक रजिस्ट्री के लिए 7 टन सकल भार तक मछली पकड़ने वाली नौका	2.00
	7 टन सकल भार से अधिक किन्तु 25 टन सकल भार से अनधिक मछली पकड़ने वाली नौका	14.00
	25 टन सकल भार किन्तु 50 टन सकल भार से अनधिक मछली पकड़ने वाली नौका	20.00
	50 टन सकल भार से अधिक किन्तु 75 टन सकल भार से अनधिक मछली पकड़ने वाली नौका	30.00
	75 टन सकल भार से अधिक किन्तु 100 टन सकल भार से अनधिक मछली पकड़ने वाली नौका	40.00
	100 टन सकल भार से अधिक मछली पकड़ने वाली नौका	प्रथम 100 टन के लिए 40.00 धन प्रथम 100 टन से अधिक के प्रत्येक टन के लिए 0.50 नए पैसे
(2)	परिवर्तनों की रजिस्ट्री के लिए	10.00
(3)	रजिस्ट्री के अंतरण के लिए	20.00
(4)	स्वामित्व या हित के अंतरण की रजिस्ट्री के लिए	20.00
(5)	बंधक की रजिस्ट्री के लिए	20.00
(6)	मछली पकड़ने वाले नौका के नाम परिवर्तन के लिए	10.00
(7)	अनंतिम रजिस्ट्री प्रमाणपत्र या उसके विस्तार के लिए	2.00
(8)	रजिस्टर पुस्तिका में प्रविष्टियों के निरीक्षण और/या रजिस्ट्री से संबंधित विष्टियों और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियों के प्रति के लिए	10.00
(9)	रजिस्ट्री प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए	10.00

[फा. सं. एल डब्ल्यू/5-एल एल आर (4)/83एम ए]
राम सनेही, अवर सचिव

G.S.R. 866.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a), (b), (c) and (1) of sub-section (2) of section 435U of the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958), the Central Government hereby makes the following rules, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Merchant Shipping (Registration of Indian Fishing Boats) Rules, 1988.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazeete.

2. Definitions .—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958);

(b) "Central Register" means the register of fishing boats maintained by the Director General of Shipping;

(c) "Certificate" means a certificate of registry granted under section 435G of the Act;

(d) "Form" means a form specified in Schedule 1;

(e) "Port of registry" in relation to a fishing boat, means a port notified under section 435G of the Act;

(f) "Register" means the register of Indian fishing boats appointed under section 435E of the Act;

(g) "Schedule" means a schedule appended to these rules;

(h) "tonnage" in relation to a fishing vessel, means the tonnage as determined under the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ship) Rules, 1987, and in relation to a sailing vessel or a boat or craft falling under clause (c) of section 435B of the Act, means the tonnage as determined under the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Sailing Vessels) Rules, 1960.

Registration of Indian fishing boats

3. Application for certificate of registry.—(1) Every application for the grant of a certificate of registry of an Indian fishing boat under section 435G of the Act, shall be made in Form I, to the registrar of the port of registry nearast to the place where the owner resides or where the fishing boat is built or is based.

(2) Every application under sub-rule (1) shall be accompanied by—

(a) a declaration of ownership by the applicant in the Form II or III, as the case may be;

(b) the documents of title to the fishing boat;

(c) the builders' certificate.

4. Name of fishing boat.—(1) When apply for the certificate of registry, the owner shall specify the name which he proposes to adopt for the fishing boat.

(2) If the name proposed by the owner is the same or similar to the name by which any other Indian fishing boat has been previously registered at the port of registry, the registrar may require the owner to suggest some other name under which the fishing boat may be registered.

(3) When the name suggested by the owner has been approved by the registrar, the fishing boat shall be registered under that name.

5. Official number.—(1) On scrutiny of an application under rule 3, if the registrar is satisfied about the nationality of the applicant and his title to the fishing boat, he shall assign to the fishing boat an official number from a consecutive series maintained at each port of registry preceded by 3 distinguishing letters indicating the port of registry notified under sections 435D and 435E of the Act;

(2) The official number once assigned to an Indian fishing boat shall not be changed except when the fishing boat is registered again it another port of registry, nor shall the official number be registered to another vessel.

6. Manner of ascertainment of tonnage of Indian fishing boat.—(1) Every owner of a fishing vessel shall cause to ascertain its tonnage in accordance, with the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Ships) Rules, 1987;

(2) Every owner of a sailing vessel or boat or craft falling under clause (b) of section 435B of the Act shall cause to ascertain its tonnage in accordance with the Merchant Shipping (Tonnage Measurement of Sailing Vessels) Rules, 1960.

7. Certificate of registry.—(1) The registrar shall, after the tonnage of an Indian fishing boat has been ascertained, enter the particulars specified in sub-section (3) of section 435G of the Act in the register in Form IV kept by him for the purpose and grant a certificate of registry.

(2) Every certificate of registry granted under sub-section (4) of section 435G of the Act shall in Form V;

(3) The certificate of registry shall, on demand by a registrar, any officer of the customs or of the Mercantile Marine Department, be produced by the owner, the skipper, or the tindal or any other person in charge of the fishing boat.

8. Manner of painting of name and official number, etc. on Fishing boat.—(1) The distinguishing letters indicating the port of registry, the name of the fishing boat by which it is registered and the official number assigned to it under rule 5, shall be painted in English in regional language and in Hindi Alphabet in white oil colour against a black background on both quarters of the fishing boat near the stern.

(2) All the letters and figures painted shall be of such size as the registrar may determine in each case but shall not be less than one decimetre in height and two centimetres in width.

(3) The letters and figures referred to in this rule shall also be painted on the dinghies attached to the fishing boat.

9. Changed of name.—(1) The name of an Indian fishing boat under which it has been registered shall not, after such registry, be altered or changed except with the approval of the registrar.

(2) Every application for the change of name of such fishing boat shall be made to the registrar of the fishing boat's port of registry and shall specify the reasons for the proposed change.

(3) The registrar may, if he is satisfied that the change proposed is reasonable and necessary, approve such change.

(4) Where the name of an Indian fishing boat, which is mortgaged, is sought to be changed, the consent of the mortgagee shall also be obtained for the proposed change.

(5) The new name which has been approved by the registrar shall be entered in the register in the certificate of registry of that fishing boat, and shall accordingly be painted on the fishing boat in accordance with rule 8.

10. Registry of alterations.—(1) An application for alterations of the registry of an Indian fishing boat shall be made in Form VI within one month of such alterations to the registrar of the port where the fishing boat is registered.

(2) Where the alterations do not materially affect the dimensions or the tonnage of the fishing boat, the registrar shall enter the alterations in the register and also in the certificate of registry of the fishing boat.

(3) Where the alterations materially affect the dimensions or the tonnage of the fishing boat the registrar shall proceed to register the fishing boat de novo.

11. Transfer of registry.—(1) If all the persons having an interest in an Indian fishing boat, whether as owner or as mortgagee, desire that the registry of the fishing boat should be transferred from one port to another, they may apply in Form VII to the registrar of the port of registry for such transfer.

(2) The registrar of the port of the registry shall, if he is satisfied that the proposed transfer is unobjectionable, transmit the particulars of the Indian Fishing boat and the encumbrances, if any thereon to the registrar of the intended port of registry.

(3) The registrar at the intended port of registry, after he is satisfied that the new official number with the distinguishing letters of the port are duly marked on the fishing boat in accordance with the provisions of rule 8, shall issue a fresh certificate of registry and communicate to the registrar of the original port of registry the official number assigned to the Indian fishing boat and the date of its registry.

12. Closing of registry.—(1) Where the registry of an Indian fishing boat is transferred under rule 11, the registrar of the original port of registry shall close the registry of the Indian fishing boat in his register.

(2) Where the registry of an Indian fishing boat at any port is closed under section 345-P of the Act or under sub-rule (1), the registrar of the port shall forthwith submit to the Director General of Shipping a statement of the particulars of the fishing boat whose registry is closed and the circumstances in which the registry is closed.

13. Transfer of fishing boat or interest therein.—(1) The owner, or in the case of joint ownership all the owners, of an Indian fishing boat desiring to transfer such fishing boat or any interest therein, shall apply to the registrar of the port of registry for permission to do so.

(2) The registrar shall, after making such enquiry as he thinks necessary, forward the application together with his recommendation thereon to the Director General of Shipping for approval.

(3) If the proposed transfer is approved, and after the sale has been effected, the transfers shall present to the registrar of the port a declaration of ownership the instrument of transfer and the existing certificate of registry of the fishing boat and thereupon, the registrar shall enter the particulars of the transfer in his register and issue a fresh certificate of registry.

14. Mortgage of Indian fishing boat.—(1) Every instrument of mortgage of an Indian fishing boat or any interest therein shall be in Form VIII or Form IX, as the case may be.

(2) The registrar shall, after satisfying himself that the instrument of mortgage has been properly executed, record the same in his register with the date and hour of acceptance and shall also make an endorsement to that effect on the mortgage instrument.

(3) Where there are two or more mortgages on the same fishing boat, their respective priorities shall be indicated in the register in the appropriate column by the letters A. B. C............ in alphabetical order.

(4) Where an Indian fishing boat belonging to a company or a co-operative society is mortgaged, the registrar shall not register the mortgage unless it has also been registered with the Registrar of Companies under section 134 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) or, as the case may be, with the registrar of co-operative societies under the Co-operative Societies Act, 1912 (2 of 1912) or any other law relating to co-operative societies for the time being in force in any State.

(5) When the mortgage debt is fully discharged, the registrar shall, after satisfying himself that the receipt endorsed on the mortgage instrument is in order and that it is properly witnessed and where the mortgage is by a company or a co-operative society, also that a memorandum of satisfaction has been entered in the register of changes under section 138 of the Companies Act, 1956 or, as the case may be, under the Co-operative Societies Act, 1912, make an entry in the register relating to the discharge of the mortgage.

(6) No payment of any instalment of a mortgage debt shall be recorded in the register.

15. Transfer of ownership by operation of law.—(1) Where the title to an Indian fishing boat devolves on any person by operation of law, such person shall apply to the registrar specifying the circumstances in which he has acquired title to the fishing boat and also adducing evidence of such acquisition.

(2) If the registrar, after making such enquiry as he thinks fit, is satisfied about the claim of the applicant. he shall register the particulars of the change of ownership in his register and also endorse the particulars in the certificate of registry of the fishing boat.

16. Fishing boats owned by minors.—(1) Where an Indian fishing boat is registered in the name of a person as the guardian of a minor, the ownership of the fishing boat shall remain with the minor, and on attainment of majority he may apply to the registrar for altering the enties in the register relating to the fishing boat.

(2) The registrar shall then issue a fresh certificate in the name of the applicant.

(3) No fees shall be charged for issuing a certificate of registry under sub-rule (2).

17. Provisional crtificate of registry.—(1) Where an application for the registry or the registry a new of an Indian fishing boat is pending before a registrar and the registrar is, having regard the circumstances of the case, of the opinion that the fishing boat should not be detained at the port till the issue of the certificate of registry, he may issue a provisional certificate of registry in Form X.

(2) Every provisional certificate issued under sub-rule (1) shall specify the particulars of the fishing boat and of the owner and skipper or tinda or any other person in charge of the fishing boat, or in the case of registry a new, the particulars as entered, in the original certificate of registry.

(3) A provisional cerificate shall be valid for such period not exceeding three months as may be specified therein :

Provided that the registrar may, if he is satisfied that in the circumstances of the case it is necessary to do so, extend the period of validity of a provisional certificate by a further period not exceeding two months.

(4) The provisional certificate shall, on the expiry of the period of its validity or at the time of the issue of a regular certificate of registry, whichever is earlier, be surrendered to the registrar.

18. Issue of duplicate copies of certificates.—(1) The registrar may, on application made by the owner in this behalf, issue a duplicate copy of a certificate of registry marked "DUPLICATE" in red ink if he is satisfied that the original certificate has been destroyed, lost, mislaid, mutilated or defaced.

(2) Every application for a duplicate copy of a certificate of registry shall be accompanied by a declaration regarding the circumstances in which the original certificate was destroyed, lost, mislaid, mutilated or defaced.

(3) Where a duplicate copy of a certificate of registry has been obtained on the ground that the original has been lost or mislaid, and such original is subsequently found or received by the owner, he shall forthwith surrender the original certificate to the registrar who shall cancel the same.

(4) A duplicate copy of the certificate of registry shall not be granted on the ground that the original has been mutilated or defaced unless the mutilated or defaced certificate is surrendered to the registrar.

19. Central Register.—(1) The Director General of Shipping shall maintain a Central register which shall contain all the entries recorded in the registers kept by the registrars.

(2) On completion of the registry of a fishing boat at a port, the registrar of the port shall immediately transmit to the said Director General a copy of the entries in his register relating to the fishing boat.

(3) The particulars of every other transaction subsequently recorded in the register shall also be reported forthwith to the said Director General.

20. Inspection of register and supply of copies of entries.—(1) The register maintained by a registrar shall, on application made in this behalf and on payment of fee specified in Schedule II, be open to inspection during office hours by any person.

(2) A certified copy of any entry in a register may be granted by the registrar to any person on application made in that behalf and on payment of fee specified in Schedule II.

21. Declaration of ownership.—Every declaration of ownership under these rules shall be made before a registrar, Justice of the Peace, a Judicial Magistrate of the First Class, a Mamlatdar of a Commissioner of Oaths.

22. Fees.—Fees shall be levied under these rules at the rates and for the purposes specified in Schedule II and be paid to the registrar alongwith the application for recording the transaction.

23. Entry of particulars of existing fishing boats.—(1) The owner of every fishing boat which was registered before the commencement of these rules shall within a period of three months of such commencement produce before the registrar the relevant certificate of registry.

Provided that the Director General of Shipping may, for sufficient reasons, extend the said period up to six months.

(2) The registrar shall enter in his register the particulars of the fishing boat and any outstanding mortgage of the fishing boat or any interest therein and shall also assign a new official number to the fishing boat.

(3) The official number assigned under sub-rule (2) shall be painted in the manner specified in rule 8 in the place of the number, if any, already painted thereon.

FB FORM I

Schedule I'

Issued by the Government of India

APPLICATION FOR REGISTRY OF A FISHING BOAT

[See rule 3(1)]

TO

THE REGISTRAR OF FISHING BOATS,
Port of............................

Sir,

I/We..............................of..................................
being the owner/s of Fishing Boat called the......................
hereby request that the said Fishing Boat be registered in my/our name/s, and a Certificate of Registry issued to me/us.

2. The particulars in respect of the said Fishing Boat are as under:—

(i) Owner's name and address in full ....

(ii) Occupation

(iii) Whence, when and how the Fishing Boat was acquired ....

(iv) Place and year of build (with the builder's name and address, if known) ....

(v) Type of Fishing Boat whether open/semi decked/decked/fitted with auxiliary engine .. ..

(vi) Description and type of engine with the name of manufacturers, horse power and speed in fully loaded condition ....

(vii) Port of Registry and Official No. if registered previously ....

(viii) Whether the fishing boat has any previous mortgages, if so, the particulars thereof . ...

3. The following documents are enclosed herewith :—

(a) Declaration of ownership

(b) *Builders certificate (in respect of registration of new vessels)

or

Bill of sale if purchased

4. I/We request that a name for the Fishing Vessel be approved from the following :

I   of these only one will be approved.

II

III

Place ....

Date ....

Signature or L.T.I. of Owner

FB Form II

DECLARATION OF OWNERSHIP

(By Individuals/Joint Owners/Partnership Firm)

[See rule 3(2)]

I/We, the undersigned, hereby declare that I/we am/are citizen (s) of India, residing permanently/having the principal place of business at———————and that the Fishing Boat called.............................,the particulare of which are given below, was built at——————in the year————and/was purchased by me/us for the sum of Rs....................../Was materially altered and rebuilt by me/us/was inhereited by me/us from——————————whose name appears in the Register as the owner of the said fishing boat and who died at——————on the——————————and that I/we am/are the sole owner(s) of the said fishing boat and that no preson or persons has or have any interest, either legal or beneficial, right title, share of property therein or thereto And I/We make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

PARTICULARS OF THE FISHING BOAT

Official Number, date and port of registry..

Dimensions : ....Length.................................Breadth..................................Registered Depth...

Gross Tonnage .... Register Tonnage..

Cubic Metres.. Cubic Metres..

Declared before me at...this..day of.................. Signature(s)

Seal of Office.

Issued by the Government of India

Signature and designation

DECLARATION OF OWNERSHIP

FB FORM II

(BY A COMPANY)

[See rule 3(2)]

I, the undersigned, permanently residing at...............................and being the duly authorised agent/duly constituted attorney of....................................... Company Limited, hereby declare as follows:—

The said Company was registered under the Companies Act, 1956, on the..and has its principal place of business at ....where all the important business is controlled and managed. The said Company satisfies the requirements of clause(b) of section 21 of the Merchant Shipping Act, 1958, and is the sole owner of the Fishing Boat called...the particulars of which are given below. The said fishing boat was built at.................... the year.......................................and/purchased by the said Company for the sum of Rs..................../ was materially altered and rebuilt by the said Company.

To the best of my knowledge and belief, no person or persons has or have any interest, either legal or beneficial, right title, share of property in the said fishing boat. And I make this solemn declaration conscientiously believing the same to be true.

PARTICULARS OF THE FISHING BOAT

Official Number, date and port of registry..

Dimensions : Length...Breadth..................................Registered Depth ....

Gross Tonnage .... Register Tonnage..

Cubic Metres.. Cubic Metres..

Declared before me at ....This..................................day.....................of............ 198 .

Signature...

Designation ....

Signature for and on behalf of.............. .... Company Ltd.

Seal of Office

REGISTER OF FISHING BOATS

FB FORM IV

[See rule 7(1)]

Official Number ....

Date and Port of Registry ....

Name of Fishing Boat.........................

Particulars of Owners

Name(s) of Owner(s)	Permanent residence or principal place of business	Occupation	Shares held by each
1)			
(2)			
(3)			
(4)			
(5)			

DESCRIPTION OF THE FISHING BOAT

(a) Type, Whether Open, decked or Semi decked.
(b) Build and Material
(c) Hull—Whether wooden, Steel or Composite
(d) Place and year of Build
(e) Name and Address of Builders
(f) Number of Masts
(g) No. of Bulkheads
(h) No. of Holds
(i) Rigged.

DEMENSIONS AND PARTICULARS OF TONNAGE

Registered Dimensions
(a) Length :
(b) Breadth
(c) Depth
Gross Tonnage
Cubic Metres.
Register Tonnage
Cubic Metres.

PARTICULARS OF AUXILIARY ENGINE(S)

(if any)
(a) Type, Make and Name of Engine(s)
(b) Year of Make
(c) Name & Address of Manufacture
(d) Number and Diameter of Cylinders
(e) Length of Stroke
(f) Brake Horse Power
(g) R.P.M.
(h) Speed —
(i) Fully Loaded :
(ii) Light Condition :

PARTICULARS OF CREW

Fair Season Foul Season
(a) Deck Crew
(b) Engine Crew.

REGISTRAR OF FISHING BOATS

FB FORM V

Issued by the
Government of India

CERTIFICATE OF REGISTRY OF A FISHING BOAT

[See rule 7(2)]

This is to certify that...of ....has declared that..is/are the sole-owner(s) of—..........................called .... and that the said ....the identification particulars of which are appended below, was built at... in the year...The said...has been duly registered at the port of.................................... under the Merchant Shipping Act, 1958 (44 of 1958).

CERTIFIED under my hand this the ....day of ....19...........

Particulars of Fishing Boat

Official No. .... Port of Registry..

Registered Dimensions :—

Length ....
Breadth ....
Depth ....
Gross Tonnage.. Cubic Metres..

....
Registrar of Fishing Boat
Port of..

Note :—

(1) The certificate must be produced for inspection on demand by any authorised person.
(2) While the certificate is in force, the fishing boat's name and other markings must not be removed or defaced.
(3) Should the vessel be lost broken up or rendered unfit for service, this certificate should be surrendered to the Registrar at the fishing Boat's Port of registry.

Issued by the
Government of India

FB FORM VI

APPLICATION FOR REGISTRY OF ALTERATIONS

[See rule 10(1)]

To

THE REGISTRAR OF FISHING BOATS,
Port of...

Sir

I/We, the undersigned.. being the ownres of the Fishing Boat called..................
....Official Number ....hereby report that the following alterations have been carried out to the fishing boat on ....198.......... I/We therefore request that these alterations may kindly be registered and a fresh Certificate of Registry issued on payment of the prescribed fee.

The fishing boats existing Certificate of Registry is returned herewith.

Signature of Owner(s)

Issued by the
Government of India

FB FORM VII

APPLICATION FOR TRANSFER OF PORT OF REGISTRY

[See rule 11(1)]

To

THE REGISTRAR OF FISHING BOATS,
Port of..
Sir,

I/We..being the owner(s) of Fishing Boat called.....................Official No..registered at your port hereby request that the registry of the said fishing boat may be transferred to the port of...for the following reasons:—

*2 The said fishing boat has been mortgaged in favour of ....as will be verified from the Register maintained by you and the mortgagees have no ojbection to the proposed transfer. In this connection, his/their letter, dated the............................ original for your record. ....is enclosed in

Yours faithfully,

*Delete, if not applicable.

Issued by the
Government of India

FB FORM VIII

INSTRUMENT OF MORTGAGE

(TO BE EXECUTED BY INDIVIDUALS/JOINT OWNERS/PARTNERSHIP FIRMS)

(See rule 14(1)]

I/We, the undersigned..in consideration of the sum of Rupees..this day lent to me/us by...residing permanently/having my/our principal place of business at..do hereby for myself/ourselves and my/our heirs executors, or administrators covenant with the said.............................firstly that I/We and /or my/our heirs, executors o r administrators will pay to the said.......................................the said sum of Rupees......................together with interest thereon at the rate of....................percent, per annum on the............................day of..................198..., and secondly that if the said principal sum is not paid on the said day I/We or my/our heirs, executors or administrators, will, during such time as the same or any part thereof remains unpaid, pay to the said..................................interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of............................percent, per annum by equal half yearly payments on the.....................day of..and ....day of......................in every year; and that for better securing to the said......................the repayment in manner aforesaid of the said principal sum and interest I/We hereby mortgage to the said...the fishing boat called..............................Official Number..Port of Registry...together will all her boats appurtenances, etc. Lastly, I/We for myself/ourselves and my/our heirs, executors or administrators covenant with said.........................and his/their assigns that I/We have power, to morta-

the said fishing boat in the manner aforesaid and the same is free from encumbrances save as appear by the Register of the said vessel.

Signed by the above named in my presence.

Signature(s)

Signature..
Designation..
Seal of Office..

Received the sum of Rupees...................in discharge of the within written security dated this..................................day of.........................198 .

Signature(s) of Mortgages(s)

Signed in my presence
Signature..
Designation..

Seel of Office..................................

FB FORM IX

Issued by the Government of India

INSTRUMENT OF MORTGAGE

(TO BE EXECUTED BY A COMPANY OR BODY CORPORATE)

[See rule 14(1)]

We, the...Company Limited, having our principal place of business at...........in consideration of the sum of Rupees.......................this day lent to us by..................................residing permanently /having principal place of business at.............do hereby for ourselves and our successors covenant with the said..and his/ their/its assigns firstly that we/our successors will pay to the said..or its/their assigns the said sum of Rupees.........................together with interest thereon at the rate of......................per cent, per annum on the.........................day of.....................198......; secondly that if the said principal sum is not paid on the said day, we or our successors will, during such time as the same or any part thereof remains unpaid pay to the said...... ...., interest on the whole or such part thereof as may for the time being remain unpaid, at the rate of..............per-cent, per annum by equal half yearly payments on the..................day of................and..............day .... in every year; and that for better securing to the said....................................the repayment in the manner aforesaid of the said principal sum and interest, we hereby mortgage to the said....................................the Fishing Boat called ....Official Number..............................Port of Registry.................................. together with all her boats and other appurtenances, etc. Lastly we for ourselves and our successors covenant with the said........... and its/their assigns that we have power to mortgage the said vessel together with all her boats and appurtenances, etc. and that the same is free from encumbrances save as appear by the Register of the said vessel.

In witnesses whereof we have subscribed our name(s) and common seal this..................day of....................one thousand nine hundred and.........................

Signature(s)

Signed by the above named
in my presence

For and on behalf of.......................

Company Limited
Company's Seal.

Signature
Designation
Seal of Office

Received the sum of Rupees.........................in discharge of the within-mentioned security. Dated..........at.... ....this....................day of.......................198.........

Signed in my presence

Signature.........................

Designation.........................

Signature (s) of
Mortgagee(s)

Seal of Office.

FB FORM X

Issued by the Government of India

PROVISIONAL CERTIFICATE OF REGISTRY

[See rule 17(1)]

This is to certify that Fishing Boat.................. Official Number ....of................Tons.. ....
belonging to...
....
is hereby permitted to ply pending issue of Certificate of Registry.

This Provisional Certificate shall remain in force for a period of three months or until the Fishing Boat is granted a Certificate of Registry whichever is earlier.

Port of....................

Date....................................

Registrar of Fishing Boat

SCHEDULE II

[See rules 20 and 22]

(1) For initial registry	Rs.
Fishing Boat up to 7 tons gross	2.00
Fishing Boat exceeding 7 tons gross but not exceeding 25 tons gross	14.00
Fishing Boat exceeding 25 tons gross but not exceeding 50 tons gross	20.00
Fishing Boat exceeding 50 tons gross but not exceeding 75 tons gross	30.00
Fishing Boat exceeding 75 tons gross but not exceeding 100 tons gross	40.00
Fishing Boat over 100 tons gross	Rs. 40 for first 100 tons plus 50 nayepaise for each ton exceeding first 100 tons.
(2) For registry of alterations	10.00
(3) For transfer of registry	20.00
(4) For registry of transfer of ownership or interest	20.00
(5) For registry of mortgage	20.00
(6) For change of name of Fishing Boat.	10.00
(7) For provisional certificate of registry or extension thereof	2.00
(8) For inspection of entries in the register book and/or supply of certified copies of the entries and other documents relating to registry.	10.00
(9) For Duplicate copy of certificate of registry	10.00

[F. No. SW/5-MSR(4)/86-MA]

RAM SANEHI, Under Secy.

MGIPRRND—2706 S&T/88 1-12-88—200.